



(शिक्षा विभाग)

कार्यालय - बिहार शिक्षा परियोजना, पुरानी बाजार लखीसराय

(समग्र शिक्षा)

Email: beplakhisarai@gmail.com

पत्रांक-PVT/62/2019-20-1117

दिनांक- 02/02/2021

प्रेषक :- गोपाल कृष्ण
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा
लखीसराय।

सेवामें,
स्कॉलर्स वैली स्कूल
बी०एन०एम० कॉलेज रोड, वार्ड-14
प्रखंड-बड़हिया
जिला- लखीसराय।

विषय :- बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम- 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र

महाशय/महाशया,

आपके प्रस्ताव और उस क्रम में विद्यालय के किए गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय स्कॉलर्स वैली स्कूल बी०एन०एम० कॉलेज रोड, वार्ड-14, प्रखंड-बड़हिया 01 कक्षा से कक्षा 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों-02.02.2021 से 01.02.2024 अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगा।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका- 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय सशर्त कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, शीघ्र न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे। निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त न करने की स्थिति में शिक्षण कार्य हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
 - vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

Ankita Arya

PRINCIPAL

SCHOLARS VALLEY SCHOOL
BARAHIYA, LAKHISARAI

Prity Singh
Manager
Scholars Valley School
Barahiya (Lakhisarai)

(शिक्षा विभाग)

कार्यालय - बिहार शिक्षा परियोजना, पुरानी बाजार लखीसराय

(समग्र शिक्षा)

Email: beplakhisarai@gmail.com

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-
विद्यालय - परिसर का क्षेत्रफल :- 87120 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्र :- 12000 वर्ग फीट
खेल के मैदान का क्षेत्र :- 65000 वर्ग फीट
वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 21
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :- है
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :- है
पेयजल की सुविधा :- है
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर :- लागू नहीं
बाधा रहित पहुँच :- है
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुरस्कार :- है
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। ऐसे विद्यालय जो अभी तक ट्रस्ट या निबंधित सोसाइटी अन्तर्गत संचालित नहीं हो रहे हैं, उन्हें यह अर्हता आगामी छः माह में प्राप्त कर लेनी होगी।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय को भजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या -LKR106 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपा अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, (प्रा0शि0)/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. आपको निदेश दिया जाता है कि RTE के नियमानुसार अन्य मानकों को शीघ्र पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपको प्रदान की गई प्रस्वीकृति पर सभिति पुर्नविचार करेगी।

विश्वासभाजन

(A.K.M.)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा
लखीसराय।

Ankita Aryan

PRINCIPAL

SCHOLARS VALLEY SCHOOL

BARAHIA, LAKHISARAI

Priy Singh
Manager

Scholars Valley School
Barahia (Lakhisarai)